गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.05.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.05.2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सचिव
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
13.	डॉ0 सम्पूर्णानंद झा, उप-कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ0 अश्वनी दीक्षित	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01 प्रो0 बी.एन. तिवारी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 श्री प्रवेश दलई द्वारा विधि विभागाध्यक्ष को रिकार्ड एवं फाईल हैण्डओवर करने संबंधी प्रकरण पर विचार।

विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री प्रवेश दलई निलंबित है। श्री प्रवेश दलई ने विधि विभाग की फाईले एवं रिकार्डस विभागाध्यक्ष को सौंपने के लिए आवेदन किया है। उक्त प्रकरण पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने निम्नानुसार निर्णय लिया :-

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्री प्रवेश दलई, सहायक प्राध्यापक (निलंबित) के पास उपलब्ध विभागीय दस्तावेजों एवं परीक्षा संबंधी उत्तरपुस्तिकाएं एवं दस्तावेज को विधि विभाग के विभागाध्यक्ष को हस्तगत कराये जाने की कार्यवाही हेतु त्रीसदस्यीय समिति का गठन किया जाय। श्री प्रवेश दलई त्रीसदस्यीय समिति के समक्ष ही दस्तावेज विभागाध्यक्ष को हस्तगत करेंगे। समिति के सदस्यों को नामित किये जाने हेतु स्थायी समिति की अध्यक्ष महोदया अधिकृत रहेंगी।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि श्री प्रवेश दलई के द्वारा हस्तगत किये जाने वाले उत्तर पुस्तिकाओं (आंतरिक मूल्यांकन/सेमेस्टर परीक्षा) के मूल्यांकन का कार्य किसी अन्य विषय विशेषज्ञ से कराये जाने के लिए विधि अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे।

प्रस्तुत प्रकरण पर स्थायी समिति ने विधि विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विधि अध्ययनशाला के अधिष्ठाता द्वारा छात्र उपस्थिति से संबंधित कृत कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए पुष्टि की।

विषय क्र. 02 सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत एस.ई.सी. पाठ्यक्रम के लिये नीति निर्धारण पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 में सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अंतर्गत संचालित होने वाले तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टरों के पाठ्यक्रमों में एस.ई.सी. पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि नोडल अधिकारी सी.बी.सी.एस. एवं सभी अध्ययनशाला के अधिष्ठातागण उनके नियंत्रणाधीन विभागों के विभागाध्यक्षों से एस.ई.सी. के संबंध में चर्चा कर पाठ्यक्रम का प्रस्ताव लेकर दिनांक 03.05.2019 को सायं 04:00 बजे सभागार में बैठक हेतु उपस्थित होंगे एवं एस.ई.सी. पाठ्यक्रम का निर्धारण कर शेष आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**